Hindi

अधिकार होना चाहिए बधिर बालक को द्विभाषीय विकास का

The Hindi translation of

"The right of the deaf child to grow up bilingual"

by François Grosjean

University of Neuchâtel, Switzerland

Translated by Aparna Pandey

This translation was made possible by a collaborative project between the University of Neuchâtel, Switzerland (Language and Speech Laboratory) and Gallaudet University (Signs of Literacy Program) and was funded by The Parthenon Trust and the Elysium Foundation.

बधिर बालक को द्विभाषीय विकास का अधिकार होना चाहिए*

फ्रांसवां ग्रासजाँ
यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूशटल, स्विटजरलैंड

प्रत्येक बालक या बालिका को द्विभाषीय विकास का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, भले ही उसकी श्रवण क्षीणता की सीमा कितनी भी हो। सांकेतिक भाषा एवं मौखिक भाषा, लिखित रूप में और जहाँ सम्भव हो जबानी रूप में, दोनों की जानकारी एवं उपयोग से ही बालक सम्पूर्ण बौद्धिक एवं सामाजिक सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता है।

भाषा के उपयोग से बालक किन आवश्यक्ताओं को पूरा करना चाहेगा

एक बधिर बालक को भाषा के उपयोग से विभिन्न प्रकार के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है:

1. माता-पिता एवं अन्य परिजनों से जल्दी से जल्दी सम्पर्क :

एक सामान्य श्रवण-शक्ति वाला शिशु अपनी अग्रिम बाल्यावस्था (infancy) में भाषा सीख लेता है यदि उसे शुरू से ही भाषा सिखायी जाए और वह उसे समझ सके। शिशु और उसके माता-पिता के बीच के सामाजिक एवं व्यक्तिगत सम्बंधों को स्थापित करने तथा उन्हें प्रगाढ़ बनाने के लिए भाषा अत्यंत आवश्यक है। चूंकि यह सामान्य श्रवण-शक्ति वाले बालक के लिए सही है, इसलिए इसे बधिर बालक के लिए भी सही होना चाहिए। बालक को अपने माता-पिता के साथ स्वाभाविक भाषा के जरिए जल्दी से जल्दी एवं अधिकतम् रूप में सम्पर्क स्थापित कर लेना चाहिए। भाषा के जरिए ही माता-पिता एवं उनकी संतान का आपसी भावनात्मक सम्बंध स्थापित हो सकता है।

---

* यह लेख, द्विभाषीयपने एवं बधिरपने पर कई वर्षों के विचार का परिणाम है। प्रायः छोटी उम्र के बधिर बालकों के आसपास के लोग, माता-पिता, डाक्टर, भाषा-विशेषज्ञ शिक्षक आदि, उन्हें भावी द्विभाषीय तथा द्विसांस्कृतिक व्यक्ति के रूप में नहीं समझ पाते हैं। इन्हीं व्यक्तियों को ध्यान में रख कर मैंने यह लेख लिखा है। मैं निम्नलिखित मित्रों एवं सहकर्मियों को उनकी उपयोगी टिप्पणियों तथा सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा: रॉबिन बैटिसन, पेनी बोएस-ब्रेम, ईव क्लार्क, लिजिएन ग्रासजाँ, जूडिथ जानस्टन, हार्लन लेन, रशैल मेबैरी, लेस्ली मिलराय, इला पारसनिस और टूड शेर्मर।

2. अग्रिम बाल्यावस्था (infancy) में मानसिक क्षमताओं का विकास:

बालक की समस्त मानसिक क्षमताओं का विकास भाषा के जरिए होता है, और यह उसकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए निर्णायक है। मानसिक क्षमताओं के कुछ उदाहरण हैं: तर्कसंगत विचार (reasoning), सिद्धांतीय विचार (abstracting), स्मरण (memorizing), इत्यादि। भाषा की पूर्ण अनुपस्थिति से अथवा अस्वाभाविक भाषा के ग्रहण से अथवा ऐसी भाषा के प्रयोग से जो कि निम्न रूप से ग्राह्य हो या जिसका निम्न रूप से ज्ञान हो, इन सभी का बालक के मस्तिष्क के विकास पर गहन रूप से नकारात्मक परिणाम हो सकता है।

3. सांसारिक ज्ञान का अर्जन:

भाषा के द्वारा ही बालक, सांसारिक ज्ञान का अर्जन प्राप्त करेगा। जैसे-जैसे बालक अपने माता-पिता एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों, बालक या वयस्क, से सम्पर्क स्थापित करेगा, वैसे-वैसे उसके मस्तिष्क में संसार की जानकारी बढ़ेगी और उसका आदान-प्रदान भी होगा। यही जानकारी आगे जा कर पाठ्यक्रम सम्बंधी क्रियाओं का आधार बनेंगी। सांसारिक ज्ञान ही भाषा के अर्थग्रहण को सरल बनाता है, इस ज्ञान के अनावलम्बन से भाषा का सही ग्रहण असम्भव है।

4. आस-पास की दुनिया से पूर्ण सम्पर्क होना चाहिए:

एक सामान्य श्रवण-शक्ति वाले बालक के ही सामान, एक बधिर बालक को भी अपने जीवन में आए व्यक्तियों (माता-पिता, भाई-बहन, मित्रगण, शिक्षक, भिन्न वयस्कगण आदि) से पूर्ण रूप से सम्पर्क स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। यह संचार एक ऐसी भाषा में और साधरण ज्ञानवर्धन की गति से होना चाहिए जो कि उसकी स्थिति के उपयुक्त हो। किसी स्थिति में यह भाषा सांकेतीय होगी तो कभी मौखिक (किसी एक रूप में) और कभी दोनों भाषाएं बारी-बारी से प्रयोग होंगी।

5. दोनों संसारों में सहज होना:

बधिर बालक को भाषा के जरिए दोनों संसारों, बधिरों के संसार एवं सामान्य श्रवण-शक्ति सामर्थों के संसार का सदस्य बनने की ओर प्रगतिशील होना पड़ता है। उसे कुछ भाग में ही सही, सामान्य श्रवण-शक्ति के संसार को समझना होता है जो कि प्रायः उस बालक के माता-पिता एवं अन्य परिजनों का संसार होता है। (नब्बे प्रतिशत बधिर बालकों के माता-पिता सामान्य श्रवण-शक्ति सामर्थ होते हैं।) परन्तु

उस बालक को जल्दी से जल्दी बधिरों की दुनिया, उसकी अपनी दुनिया, के भी सम्पर्क में आ जाना चाहिए। उस बालक को दोनों संसारों में सहजता महसूस करनी चाहिए और जितना हो सके दोनों जगहों में स्वयं को आत्मसात कर लेना चाहिए।

उपर्युक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए द्विभाषीय होना आवश्यक है

द्विभाषीय होने का अर्थ है कि दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो और उनका नियमित रूप से प्रयोग भी होता रहे। बधिर बालक अपनी आवश्यक्ताओं को सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा के द्वारा पूरा कर सकते हैं। बधिर बालक के लिए यह आवश्यक है कि वह (i) छोटी उम्र में ही अपने माता-पिता से सम्पर्क स्थापित कर ले, (ii) अपनी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करे, (iii) संसार सम्बंधी जानकारी अर्जित करे, (iv) आसपास की दुनिया से पूर्ण रूप से सम्पर्क स्थापित करे तथा (v) सामान्य श्रवण-शक्ति सामर्थों की दुनिया एवं बधिरों की दुनिया, दोनों में सहजता से रह सके।

द्विभापीयपने के प्रकार

बधिर बालक के द्विभाषीय होने का अर्थ है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग जिसका उपयोग बधिर समाज करता है और मौखिक भाषा जानना जिसका उपयोग सामान्य श्रवण-शक्ति वाली अधिकांश जनता करती है। सामान्य भाषा, लिखित रूप में और यदि हो सके तो मौखिक रूप में बधिर बालकों को सिखलानी चाहिए। उस बालक पर निर्भर होगा कि दोनों भाषाओं का योगदान क्या हो: कुछ बालक सांकेतीय भाषा के उपयोग को महत्व देंगे तो दूसरे मौखिक भाषा को और कुछ दोनों भाषाओं का संतुलित रूप से प्रयोग करेंगे। बधिर बालकों के विभिन्न प्रकार के द्विभाषीयपने की संभावनाएं हैं - बधिर होने की कई श्रेणियां हैं और भाषा-सम्पर्क प्रक्रिया स्वयं ही कठिन है। (जैसे चार भाषाएं जानना, दो निर्माण पद्धितियां (production system) और दो बोध ज्ञान पद्धितियां (perception system) आदि।) साथ ही अधिकांश बालक द्विभाषीय (विभन्न स्तरों पर) और द्विसांस्कृतिक बनेंगे। इस प्रकार ये लोग संसार की लगभग आधी जनसंख्या के समान ही होंगे जो कि दो या दो से अधिक भाषाओं को प्रयोग में लाती है। अनुमानतः इकभाषीय लोगों की तुलना में, आज विश्व में उतने ही या फिर और अधिक द्विभाषीय जन हैं। दूसरे द्विभाषीय बालकों के ही समान बधिर बालक अपने दैनिक जीवन में अपनी

भाषाओं का उपयोग करेंगे और साथ ही विभिन्न दरों पर दोनों संसारों: सामान्य श्रवण-शक्ति सामर्थ और बधिर, के अंग होंगे।

सांकेतिक भाषा का स्थान क्या हो? (role)

अत्यधिक श्रवण-हानि वाले बालकों के लिए, सर्वप्रथम सीखी जाने वाली भाषा, (या फिर प्रथम दो भाषाओं में से एक) सांकेतिक भाषा होनी चाहिए। यह एक स्वाभाविक तथा परिपूर्ण भाषा है जिससे समूचा सम्पर्क सुनिश्चित है मौखिक भाषा के प्रतिरूप, सांकेतीय भाषा के द्वारा एक बधिर शिशु शीघ्रता से और पूर्ण रूप से अपने माता-पिता से सम्पर्क स्थापित करने में सक्षम हो सकता है यदि इस भाषा को सभी लोग शीघ्रता से सीख लें। बधिर बालक के बौद्धिक एवं सामाजिक विकास में सांकेतिक भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे बालक को संसार के बारे में जानकारी लेने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही जैसे ही बधिर बालक, बधिर संसार के सम्पर्क में आएगा, उस संसार में, जिसका वह एक अंग है, सहज हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सांकेतीय भाषा की सीख से, मौखिक भाषा (लिखित या मौखिक रूप में) के अर्जन में सुगमता होगी। यह तो सर्ववदित है कि स्वाभाविक रूप से ग्रहित प्राथमिक भाषा के ज्ञान से दूसरी भाषा (सांकेतिक अथवा मौखिक) का अर्जन अत्यधिक सरल हो जाता है। सांकेतिक भाषा की प्रवीणता होने से बालक कम से कम एक भाषा में सिद्धहस्त हो जाएगा। बधिर बालकों एवं विशेषज्ञों के गहन प्रयासों के बावजूद, और विभिन्न तकनीकी सहायकों (technical aids) के बावजूद यह सही है कि कई बधिर बालकों को मौखिक भाषा के बोले जाने वाले आकार को उत्पन्न करने एवं समझने में अत्यधिक कठिनाइयां होती हैं। कई वर्षों तक उस संतोषप्रद स्तर, तक जो शायद ही प्राप्य हो, पहुंचने की प्रतीक्षा करना और इस बीच बधिर बालक को ऐसी भाषा की पहुंच से दूर रखना जो कि उसे उसकी तात्कालिक आवश्यक्ताओं को पूरा करे (सांकेतिक भाषा) एक ऐसा जोखिम भरा कदम है जिससे हो सकता है कि बालक अपनी भाषायी, मानसिक, सामाजिक अथवा व्यक्तिगत प्रगति में पीछे रह जाए।

मौखिक भापा का स्थान क्या हो?

द्विभाषीय होने का अर्थ है दो या दो से अधिक भाषाओं को जानना और उनका प्रयोग करना। बधिर बालक की दूसरी भाषा होगी वह मौखिक भाषा जो कि सामान्य श्रवण-शक्ति वाले संसार, जिसका यह बालक भी एक अंग है, द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यह भाषा अपने मौखिक एवं/अथवा लिखित स्वरूप में

बालक के माता-पिता, भाई-बहनों, अन्य परिजनों, भावी मित्रों, भावी नियोक्ताओं इत्यादि की भाषा है। बालक के दैनिक सम्पर्क में आने वाले लोग जब सांकेतीय भाषा न जानते हों, यह आवश्यक है कि आपसी सम्पर्क निश्चित रूप से होता रहे और यह सिर्फ मौखिक भाषा में ही सम्भव है। अपने लिखित स्वरूप में मुख्यतः यही भाषा ज्ञान अर्जन का आवश्यक माध्यम होगी। जो कुछ हम सीखतें हैं वह घर में या प्रायः स्कूल में लिखित रूप में ही प्रेषित होता है। साथ ही बधिर बालक की शैक्षणिक सफलताएं और उसकी भावी प्रोफेशनल उपलब्धियां, बड़े तौर पर मौखिक भाषा की प्रवीणता, (अपने लिखित रूप में और सम्भव हो तो मौखिक रूप में भी) पर निर्भर करती हैं।

निष्कर्ष

यह हमारा कर्तव्य है कि हम बधिर बालक को दो भाषाएं, बधिर समाज की सांकेतिक भाषा (यदि श्रवण-क्षीणता तीव्र हो तो प्रथम भाषा के रूप में) तथा सामान्य श्रवण-शक्ति वाले बाहुल्य समाज की मौखिक भाषा सिखाएं। इसको हासिल करने के लिए बालक को दो भाषीय समुदाय के सम्पर्क में रहना होगा तथा दोनों भाषाओं को सीखने एवं प्रयोग में लाने की आवश्यकता को समझना होगा। हाल की तकनीकी प्रगतियों के चलते, सिर्फ एक ही भाषा पर निर्भरता, बधिर बालक के भविष्य की बाजी लगाना है। इस तरीके से बालक के बौद्धिक एवं व्यक्तिगत विकास को खतरा पैदा हो सकता है और साथ ही बालक के दोनों संसारों, जिनसे वह सम्बंधित है, में सहज होने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बालक का चाहे जो भी भविष्य हो और चाहे जिस समाज में जीवन जीना वह चुने यदि एक ही ऐसा समाज उपलब्ध हो, सिर्फ एक भाषा से सम्बंध की अपेक्षा में दो भाषाओं के द्वारा शीघ्र-स्थापित सम्बंध अधिक गारण्टियां प्रदान करेगा। किसी भी मनुष्य को कभी भी अनेकानेक भाषाएं जानने का पछतावा नहीं होगा, हां पर्याप्त भाषाएं न जानने का अवश्य होगा खासकर यदि उसका आत्मविकास दांव पर हो। बधिर बालक का अधिकार है कि उसका द्विभाषीय विकास हो और यह हमारा उत्तादायित्व है कि हम इसमें उसके सहायक हों।

लेखक के अन्य प्रकाशन

ग्रासजाँ, फ. (1982) . *'दो भाषाओं के साथ जीवनः द्विभाषीयपने से परिचय'. Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism.* केम्ब्रिज, एम.ए. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

ग्रासजाँ, फ. (1987) . द्विभाषीयपन. *बधिर व्यक्तियों एवं बधिरता के लिए गौलडेट एन्साइक्लोपीडिया* में. Bilingualism. *In Gallaudet Encyclopedia of Deaf People and Deafness.* न्यूयार्कः मकग्रा-हिल.

ग्रासजाँ, फ. (1992) . सामान्य श्रवण-शक्ति समर्थ संसार तथा बधिर संसार में द्विभाषीय तथा द्विसांस्कृतिक मनुष्य. *साइन लैंगवेज स्टडीज़* The bilingual and the bicultural person in the hearing and the deaf world. *Sign Language Studies.* 77, 307-320.

ग्रासजाँ, फ. (1994) व्यक्तिगत द्विभाषीयपना. *द एन्साइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स* में. Individual Bilingualism. In *The Encyclopedia of Language and Linguistics.* आक्सफोर्डः पर्गमन प्रेस.

ग्रासजाँ, फ. (1994) सांकेतिक द्विभाषीयपनाः तथ्य. *द एन्साइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स* में. Sign Bilingualism. In *The Encyclopedia of Language and Linguistics.* आक्सफोर्डः पर्गमन प्रेस.

ग्रासजाँ, फ. (1996) दो भाषाओं एवं दो संस्कृतियों के बीच जीवन. पारसनिस इ. (एडिटर) द्वारा *कल्चरल एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटीः रिफलेक्शन्स ऑन द डेफ एक्सपीरिएन्स* में. Living with two languages and two cultures. In Parasnis, I. (Ed.), *Cultural and Language Diversity: Reflections on the Deaf Experience.* (1996) केम्ब्रिजः केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

अनुवादिकाः
अपर्णा बाजपेयी पाण्डेय